"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 जुलाई 2002—आषाढ़ 24, शक 1924

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2002

अधिसूचना

क्रमांक 650/परिवहन/2002.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में उस प्रस्तावित संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 96 की उपधारा (2) के खण्ड (नौ) के साथ पठित उपधारा (1) तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित करती है तथा एतद्द्वारा, सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित संशोधन पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख के तीस दिनों के अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव पर जो कि व्यक्ति द्वारा उक्त प्रारूप के संबंध में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग को दाऊ कल्याण सिंह भवन, कक्ष क्रमांक 209 को कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन

उक्त नियमों में,—

"नियम 145 की सारणी में उसके कालम (1) में अनुक्रमांक 28, 29, 30, 31, 32, 33 तथा 34 तथा कालम (2) तथा (3) में तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्—निम्नानुसार स्थापित किया जाये :—

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)	राशि (3)
28.	राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण हेतु आवेदन ज्ञापन सहित, के संबंध में, यदि कोई हो :—	
	(एक) तिपहिया वाहन के परमिट के संबंध में	300
	(दो) पर्यटक यान के परमिट के संबंध में :—	
	(क) टैक्सी केब पर्यटक परमिट के संबंध में	500
	(ख) अन्य पर्यटक परमिट के संबंध में	750
	(तीन) पर्यटक यान से भिन्न अन्य चार पहिया संविदा वाहन परमिट के संबंध में :—	
	(क) टैक्सी कैब परमिट के संबंध में	500
	(ख) अन्य वाहन के परमिट के संबंध में	500
	(चार) चार पहिया प्रक्रम वाहन परमिट के संबंध में :—	
	(क) मैक्सी केब परमिट के संबंध में	500
	(ख) अन्य परमिट के संबंध में :—	
	(एक) क्षेत्रीय अथवा अंतर्क्षेत्रीय मार्ग के संबंध में	500
	(दो) अंतर्राज्यीय मार्ग के संबंध में	750
29.	परिवहन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु आवेदन के संबंध में	50
30.	अपील प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मुख्त्यारनामा के संबंध में	50
31.	स्थगन हेतु आवेदन के संबंध में यदि अपील पुनरीक्षण ज्ञापन के साथ आवेदन फाइल किया जाता है	200
32.	जहां प्रत्यर्थियों की संख्या 5 से अधिक है अदेशिका फीस	50
33.	अपील प्राधिकारी, राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को अभिलेखों की प्रतियों का प्रदाय किये जाने के संबंध में (प्रत्येक प्रत्यर्थी के लिये) :—	
	(क) अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिये,—	
	(एक) सामान्य में :—	
	प्रथम पृष्ठ के लिये	40
	तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिये	20

(1)	(2)	(3)
	(दो) अति आवश्यक	ऊपर (एक) में यथा विनिर्दिष्ट रकम की दुगनी
	(ख) अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेख के किन्हीं अन्य प्रकीर्ण दस्तावेजों के संबंध में,—	
	(एक) सामान्य	
	प्रथम पृष्ठ के लिये	30
	और पश्चात्वर्ती प्रत्येक पृष्ठ के लिये	10
	(दो) अति आवश्यक	ऊपर खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में यथा विनिर्दिष्ट रकम की दोगुनी
34.	अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या इन प्राधिकारियों के सचिव को संबोधित किसी अन्य प्रकीर्ण आवेदन के संबंध में.	50

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2002

क्रमांक 650/परिवहन/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 15-7-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 15th July 2002

NOTIFICATION

No. 650/Trans./2002.—The following draft of amendment proposed amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section (1) read with clause (ix) of sub-section (2) of 96 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is being published as required by sub-section (1) of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposed amendment will be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Gazette.

Any objection or suggestions which may be received by the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Transport Department, Raipur, during the office hours at Dau Kalyan Singh Bhawan, Room No. 209, for any person with respect to the said draft before expiry of the aforesaid specified period will be considered by the State Government.

AMENDMENT

In the said rules,—

In the table of rule 145, for the serial number 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 in column (1), and the corresponding entries in column (2) and (3) of the said table, the following shall be substituted, namely :—

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (3)
28.	In respect of an application for against the order of State Transport Authority or Regional Transport Authority, stay if filed with the memorandum of appeal/application for revision :—	
	(i) in respect of permit of three wheeler	300
	(ii) in respect of permit of tourist vehicle :—	
	(a) in respect of taxicab tourist permit	500
	(b) in respect of other tourist permit	750
	(iii) in respect of four wheeler contract carriage permit other then tourist vehicle :—	
	(a) in respect of taxicab permit	500
	(b) in respect of other vehicle permit	500
	(iv) in respect of four wheeler stage carriage permit :—	
	(a) in respect of maxi cab permit	500
	(b) in respect of other permit :—	
	(i) in respect of regional or inter-regional route	500
	(ii) in respect of interstate route	750
29.	In respect of an application to inspection the record of Transport Authority or appellate Authority.	50
30.	In respect of power of attorney when presented to the Appellate Authority or Transport Authority.	50
31.	In respect of an application for stay if filed with the memorandum of appeal/application for revision.	200
32.	Process fee. In case respondents extend five in number (for each respondent)	50
33.	In respect of supply of copies of documents of Appellate Authority, State Transport Authority or Regional Transport Authority :—	
	(a) for supply of copy of judgment or order of the Appellate Tribunal, State Transport Authority or Regional Transport Authority ,—	
	(i) Ordinay :—	
	for the first page	40
	for each subsequent page	20
	(ii) Urgent	Twice the amount specified as in clause (i) above.

(1)	(2)	(3)
	(b) any other document of the record of Appellate Tribunal, State Transport Authority or Regional Transport Authority,—	
	(i) Ordinay :—	
	for the first page	30
	for each subsequent page	10
	(ii) Urgent	twice the amount specified as in clause (i) above
34.	In respect of any other miscellaneous application when addressed to Appellate Tribunal, State Transport Authority, Regional Transport Authority or Secretary of these Authorities.	50

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.